## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्षः एम0के0 सिंह**
**सदस्य**

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2946–तीन/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–4–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 106/पुनरावलोकन/12–13.

सुखसेन साहू तनय राममिलन साहू
निवासी ग्राम निवास तहसील देवसर,
जिला सिंगरोली म.प्र. ------- आवेदक

**विरूद्ध**

म.प्र. शासन ------- अनावेदक

श्री एस. पी. धाकड़, अधिवक्ता, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अधिवक्ता, अनावेदक

:: आदेश ::
( आज दिनांक को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 106/पुनरावलोकन/12–13 में पारित आदेश दिनांक 22–4–13 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, सिंगरोली को रामचन्द्र त्रिपाठी एवं एक अन्य द्वारा ग्राम पिपल, गोरबी, ...रप, ...वाही, महुआगांव के भू–अभिलेखों में कूटरचना के माध्यम से व्यापक पैमाने पर शासकीय भूमियों की हेराफेरी किए जाने के संबंध में शिकायती आवेदन पेश किया गया । इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीक्षक, भू–अभिलेख से प्रतिवेदन मंगाया गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक 1118/भू–अभि./245/10 दिनांक 18–10–2010 के आधार पर कलेक्टर ने अन्य भूमियों के साथ–साथ आवेदक के नाम भू–अभिलेख में दर्ज प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 294 रकबा 0.84 हैक्टर 460 रकबा 0.14 हैक्टर एवं सर्वे नं. 48... रकबा 0.78 हैक्टर ...

के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये । कलेक्टर के आदेश से परिवेदित होकर आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 17--7--12 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में पुनरावलोकन आवेदन पेश किया जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है

3-- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा था । तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन पटवारी की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद विधिवत प्रकिया अपनाने के उपरांत प्र.क्र. 46/अ--19(6)/87--88 में पारित आदेश दिनांक 26.5.98 द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया था । इस आदेश को रामप्रताप तनय सोनई साहू एवं अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो उन्होंने स्वीकार की, इस आदेश की पुष्टि आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 11--6--02 द्वारा की । कमिश्नर के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने राजस्व मंडल में निगरानी क्रमांक 1409--दो/02 पेश की जो राजस्व मंडल ने आदेश दिनांक 27--3--02 द्वारा स्वीकार की एवं अपर कलेक्टर एवं आयुक्त का आदेश निरस्त किया राजस्व मंडल के इस आदेश को किसी पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है इस कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि राजस्व मंडल के आदेश के उपरांत कलेक्टर को जहां तक आवेदक की भूमि का प्रश्न है उनके संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार नही है आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व कलेक्टर द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा कलेक्टर द्वारा आलोच्य आदेश आवेदक को पीठ-पीछे पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है

यह तर्क दिया गया अधीक्षक भू--अभिलेख जिसके प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि को शासन दर्ज किया गया है उनके द्वारा भी उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा मनमाने तरीके से बिना राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किये प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है अधीक्षक, भू--अभिलेख एवं कलेक्टर द्वारा आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए

जाता तो वह इस संबंध में सही स्थिति रख सकते थे । अतः उक्त जांच प्रतिवेदन को आधार बनाकर कलेक्टर ने आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व विधि अनुसार व्यवस्थापन को निरस्त करने बाबत कारण बताओ सूचनापत्र जारी करना था एवं सुनवाई के उपरांत कानूनन निर्णय किया जाना चाहिए था जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है और 12 वर्ष उपरांत अवैधानिक तरीके से तहसील न्यायालय का विधिसम्मत आदेश को निरस्त किया गया जो विधिसम्मत नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व मंडल, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालयों के अनेक निर्णयों का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर ने आवेदक के पक्ष में जारी व्यवस्थापन आदेश को अन्य व्यक्तियों के पक्ष में जारी किए गए बटन आदेशों के साथ सम्मिलित कर मात्र उपधारणाओं के आधार पर वैध व्यवस्थापन आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है । अंत में उनके द्वारा कलेक्टर के आलोच्य आदेश को सर्वे नं. आवेदक के भूमिस्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 294 रकबा 0.84 हैक्टर, 460 रकबा 0.14 हैक्टर एवं सर्वे नं. 461 रकबा 0.78 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.76 के संबंध में निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया तथा यह कहा गया कि कलेक्टर के सम्पूर्ण आदेश से उन्हें कोई मतलब देना नहीं है । अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 मोहम्मद कवि विरूद्ध फात्माबाई इब्राहिम ( खंडपीठ माननीय उच्चतम न्यायालय ), 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 (पूर्णपीठ उच्च न्यायालय), 2011 आर0एन0 273 माननीय उच्च न्यायालय एवं न्यायदृष्टांत 1988 आर.एन. 187 माननीय उच्च न्यायालय उद्धरित किये गये हैं ।

4– अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में राजस्व मंडल द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1409–दो/02 में पारित आदेश दिनांक 27–8–02 की प्रमाणित प्रति संलग्न है । इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व मंडल ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यवस्थापन के प्रकरण में विधिवत सूचना जारी होकर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पेश

राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर व्यवस्थापन का आदेश दिया गया था उसमें कोई त्रुटि नहीं है और विवादित भूमि पर आवेदक का आधिपत्य 1984 के पूर्व का है प्रश्नाधीन भूमि सार्वजनिक निस्तार की नही है और ना ही सीलिंग अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है । उक्त आधार पर राजस्व मण्डल ने उक्त प्रकरण के अनावेदको को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना है और उन्हें निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं मानते हुए अपर कलेक्टर एवं आयुक्त के आदेशों को निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार की गई है इसका आशय यह हुआ है कि व्यवस्थापन को सही मानकर आवेदक के पक्ष में किए गए व्यवस्थापन को विधिवत माना गया है । इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील/निगरानी शासन अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिलेख से स्पष्ट नहीं है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि राजस्व मंडल के इस आशय पर कोई विचार नहीं किया गया है अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा बिना राजस्व अभिलेखों की जांच किए मनमाने तरीके से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि कलेक्टर को राजस्व मंडल के निर्णय के उपरांत आवेदक के स्वामित्व की भूमि को ना तो लेने का अधिकार है और ना ही राजस्व मंडल के आदेश के विरूद्ध कोई आदेश पारित करने की अधिकारिता है । अतः कलेक्टर द्वारा बिना किसी विधिक आधार व अधीक्षक, भू–अभिलेख के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के स्वामित्व की भूमि को राज्य शासन के नाम दर्ज करने के आदेश देने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । कलेक्टर के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक जिसका नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित था, को बिना सुने आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है । आवेदक की ओर से जो न्यायदृष्टांत उद्धरित किए गए हैं वे इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होते हैं । अपर आयुक्त द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जहां तक आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि को राज्य शासन के नाम दर्ज किए जाने का प्रश्न है, उस सीमा तक कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश अभिलेख पर आधारित न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पुनरावलोकन प्र0क्र0 में पारित आदेश दिनांक 22–1–13 एवं मूल निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 17–7–12 निरस्त किये जाते हैं तथा कलेक्टर द्वारा

पारित आदेश दिनांक 7–1–11 जहां तक आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे नं 294 रकबा 0.84 हैक्टर, सर्वे नं. 460 रकबा 0.14 हैक्टर एवं सर्वे नं. 461 रकबा 0.78 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.76 हैक्टर का संबंध है, उस सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर का शेष आदेश स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार, सरई को निर्देश दिए जाते हैं कि वे पूर्ववत आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित करें ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर